कार्यालय पुलिस उपायुक्त वरुणा जोन, पुलिस कमिश्नरेट वाराणसी

प्रेस नोट

दिनांक-19.08.2025

विषय:- किशोरी को बहला-फुसला कर ले जाने के मामले में वांछित अभियुक्त विष्णु राम उर्फ बृजेन्द्र थाना कैण्ट पुलिस टीम द्वारा गिरफ्तार, अपहृता/पीड़िता सकुशल बरामद ।

श्रीमान पुलिस आयुक्त वाराणसी द्वारा गुमशुदा/अपहृता की बरामदगी तथा वांछित/फरार अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में, श्रीमान पुलिस उपायुक्त वरुणा ज़ोन के निर्देशन में, श्रीमान अपर पुलिस उपायुक्त वरुणा ज़ोन के पर्यवेक्षण में एवं श्रीमान सहायक पुलिस आयुक्त कैण्ट के कुशल नेतृत्व में थाना कैण्ट पुलिस टीम द्वारा मु0अ0सं0 246/2025 धारा 137(2),87,351(3) बीएनएस से सम्बन्धित नाबालिग/अपहृता को सकुशल बरामद करते हुए नामजद वांछित अभियुक्त विष्णु राम उर्फ बृजेन्द्र पुत्र स्व0 राजाराम उर्फ ठुनगुनी निवासी ग्राम अजरौली थाना महेवाघाट जनपद कौशाम्बी को दिनांक 18.08.2025 को समय करीब 16.35 बजे प्लेटफार्म नं0 9 पार्किंग स्टैण्ड से गिरफ्तार किया गया । उक्त सम्बन्ध में थाना कैण्ट पुलिस द्वारा अग्रेतर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

घटना का विवरण-

दिनांक 21.04.2025 को वादिनी मुकदमा ने अपनी पुत्री उम्र 16 वर्ष को विष्णु राम द्वारा बहला फुसलाकर कहीं ले जाने के सम्बन्ध में लिखित प्रा.पत्र दिया जिसके आधार पर थाना कैण्ट पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया, जिसकी विवेचना उ.नि. सुरेन्द्र कुमार शुक्ला द्वारा सम्पादित की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

विष्णु राम उर्फ बृजेन्द्र पुत्र स्व0 राजाराम उर्फ ठुनगुनी निवासी ग्राम अजरौली थाना महेवाघाट जनपद कौशाम्बी उम्र 25 वर्ष ।

बरामदगी का विवरण –

मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अपहृता/पीड़िता सकुशल बरामद ।

गिरफ्तारी का स्थान, दिनांक व समय-

प्लेटफार्म नं0 9 पार्किंग स्टैण्ड से, दिनांक 18.08.2025 समय करीब 16.35 बजे ।

आपराधिक इतिहास-

मु0अ0सं0 246/2025 धारा 137(2),87,351(3) बीएनएस थाना कैण्ट कमिश्नरेट वाराणसी ।

गिरफ्तारी/बरामदगी करने वाली पुलिस टीम का विवरण-

उ0नि0 सुरेन्द्र कुमार शुक्ला, उ0नि0 भैरव कुमार मिश्रा व म0का0 सन्नो शुक्ला थाना कैण्ट कमिश्नरेट वाराणसी ।

सोशल मीडिया सेल
पुलिस उपायुक्त
वरुणा जोन, कमिश्नरेट वाराणसी।